क़र्ज़ देने का सवाब

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत इब्ने मस्ऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''कोई भी मुसलमान जब किसी मुसलमान को दो बार कर्ज़ देता है तो वह इसके एक बार सदक़ा की तरह होता है'' (सहीहः इब्ने माजा १९७२)

समाज आपसी सहयोग से चलता है, एक दूसरे की मदद की भावना रखना ईमान की पहचान है। इस्लाम ने जिस तरह जीवन के दूसरे विभागों के बारे में हमारी रहनुमाई की है इसी तरह उसने हर इन्सान को उसके आड़े वक़्त में काम आने का भी हुक्म और प्रेरित किया है। गरीब से मालदार हो जाना और मालदार से मोहताज हो जाना इन्सान की तकदीर का हिस्सा है। यह परिवर्तन हम अपने आस पड़ोस और समाज में देखते रहते हैं इसी लिये इस्लाम धर्म ने मोहताजों, गरीबों और जरूरतमन्दों की मदद करने का उपदेश दिया है और इसे बहुत बड़ी नेकी की काम क़रार दिया है।

एक अवसर पर अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''अल्लाह तआला उस वक़्त तक अपने बन्दे की मदद करता है जब तक बन्दा अपने भाई की मदद करता है'' (सहीह मुस्लिम २६९९)

उपर्युक्त दोनों हदीसों में जरूरत मन्दों को कर्ज़ देने के लिये प्रेरित किया गया है इसी तरह कर्ज़ लेने वाले को भी कर्ज़ को भली भांति वापस करने का भी हुक्म दिया गया है। कुछ लोग कर्ज़ वापस करने के एरादे से नहीं लेते है बल्कि हड़प कर लेने के एरादे से कर्ज़ लेते हैं ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स लोगों से कर्ज़ अदा कर देने की निय्यत से लेता है अल्लाह तआला कर्ज़ लेने वाले की तरफ से कर्ज़ अदा फरमां देंगे और जो लोगों से कर्ज़ उनके माल को हलाक (बर्बाद या हड़प करने के) एरादे से लेगा तो अल्लाह तआला उसे हलाक कर देंगे!'' (सहीह बुखारी २३८७ इब्ने माजा, २४११, मुस्नद अहमद, २/३६१, बैहकी ५/३५४)

इस हदीस में कर्ज़ को वापस न करने वालों को चेतावनी दी गई है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम क़र्ज से पनाह मांगते थे और नमाज़ में यह दुआ मांगते थे ''ऐ अल्लाह! मैं गुनाह और क़र्ज़ से तेरी पनाह मांगता हूं। किसी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम आप कर्ज़ से इतनी पनाह क्यों मांगते हैं तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जब आदमी कर्जदार होता है तेा बात करते वक़्त झूठ बोलता है और वचन करके वचन तोड़ता है।'' (सहीह बुखारी २३९७)

अल्लाह तआला हम सबको गरीबों की मदद करने और लेन देन के मामलात में कुरआन व हदीस के अनुसार अमल करने की क्षमता दे।

मासिक

इसलाहे समाज

जून 2022 वर्ष 33 अंक 06

जुलक़ादा 1443 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

❑	वार्षिक राशि	100 रुपये
❑	प्रति कापी	10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. कर्ज़ देने का सवाब 2
2. मिलो मिलाओ कि मिलने से बात बनती है 4
3. उम्मत की सफलता का रहस्य रसूल स० 6
4. फितना और इस्लाम की शिक्षाएं 10
5. जीवन 12
6. हज और उमरा कैसे करें? 13
7. कुर्बानी के अहकाम व मसाइल 16
8. नबी स० का अपनी पत्नियों के साथ... 20
9. ज्ञान प्राप्त करने के आठ महत्वपूर्ण... 24
10. प्रेस रिलीज (रूयते हिलाल) 23
11. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- www.ahlehadees.org

मिलो मिलाओ कि मिलने से बात बनती है

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

अधिकांश मामलात में यही होना चाहिए लेकिन मौजूदा हालात में मुसलमानों को किसी भी कनफियूज़न, असमंजस या उलझाव में पड़ने के बजाए विस्तृत अनुभव की रोशनी में और विभिन्न हालात के परिप्रेक्ष्य में दो टोक तौर पर यह फैसला ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से यह दो काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। पहला फैसला और कदम यह हो कि किसी भी तरह के आपसी शंकाओं, और पक्षपात को छोड़ कर हर एक मामले में मिल्लत के सभी लोग सरजोड़ कर बैठें। दूसरा यह कि देश व समुदाय, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों से संबन्धित जितनी समस्याएं और आवश्यकताएं हैं इसके लिये भूतपूर्व के अनुभव, कार्यशैली और बर्ताव चाहे वह कितने ही कड़वे और निराशाजनक रहे हों तमाम राजनीतिक दलों, शख्सियतों और संगठनों के सामने, भरपूर, संगठित और अच्छे ढंग से माँगों को रखने और मिलते रहने से संकोच न करें और न ही निराश हों। इसी प्रकार अन्य धर्मों के ध र्मगुरूओं तक अपनी बात पहुंचाने और उनको साथ लेने का काम हर हाल में और निरन्तर करते रहें।

यह बात इस पृष्ठभूमि में कही जा रही है कि आज हम जबकि हर पहलू से अप्रभावी नजर आ रहे हैं और बजाहिर राजनीतिक, समाजी, आर्थिक और वैचारिक पहलू से मुसलमानों का कोई वजन नजर नहीं आ रहा है लेकिन कम से कम हम इतना अवश्य मानते हैं और दुनिया जानती है और यह संगठन और राजीतिक दल भी हमारा बावज़न और प्रभावी वजूद स्वीकार करें या न करें आज भी दुनिया स्वीकार करती है और दुनिया तो आशाओं पर स्थापित है ही। अतः इन सब को जोड़ने के बाद एटोमेटिक आज भी वजन और एतबार काइम है इसलिये इन संगठनों, पार्टियों और शख्सियतों से अलग अलग मिल कर स्वयं बेवजन और बदनाम न हों और उनको भी बदज़न व बदनाम और बे वजन न करें क्योंकि आज हालात के परिप्रेक्ष्य में यह काम नहीं किया तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कल बदनामी और बेवज़नी तो दूर की बात है उनके वजूद और बका की समस्या खड़ी हो जाए गी। बदनामी की बात जोर से इसलिये कही जा रही है कि कुछ हमारी कमी, कुछ गैरों की चालाकी, कुछ हालात के जब्र, वक़्त की संगीनी और मामलात की बेरूखी की वजह से हमारा अकेले में कोई इक़दाम करना हमें बेजवन बना देगा और विशेष रूप से सत्तारूढ़ पार्टियों से अकेले में मिलने से बदनामी और सन्देहों के दायरे बढ़ जाते हैं और निःस्वार्थियों के अलावा ताले आज़माओं की लाटरी खुल जाती है और बददियानत मीडिया और नकारात्मक पत्रकारिता को एक मुददा मिल जाता

है। इसीलिये सामूहिक तौर पर पेश आने वाली समस्याओं के समाधान के लिये आपसी सलाह मश्वरे से सबसे मिलते रहना और विचार विनयम करते रहना भी ज़रूरी है। वर्ना हम दूसरों को दोषी ठेहराते और अछूत बनाते और कमज़ोर समझते समझते स्वयं अछूत और कमज़ोर होते चले जाएंगे। स्वयं के कथनानुसार

मिलो मिलाओ कि मिलने से बात बनती है - अगर मिलो न तो बनी बात भी बिगड़ती है

इस सिलसिले में यह बात स्पष्ट रूप से हमारे ज्ञान और अमल के दायरे में रहनी चाहिये कि समस्याएं चाहे जितनी संगीन हों और हालात चाहे जितने विभिन्न हों, हालात, मामलात सुधरते और हल होते ही हैं मिल बैठने से और सुगम वातावरण में किसी भी मसले का न्यायपूर्वक और बुद्धिमत्ता पूर्वक फैसला किया जा सकता है और किसी निर्णायक और बेहतर परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। विभिन्न और अनेकों सर उठाने वाले फितनों को रोका जा सकता है। फसाद ग्रस्त और फितना उत्पन्न करने वाले वातावरण को पूरी तरह से इस्लाह व कामयाबी के साथ अम्न व शान्ति के तट से लगाता जा सकता है और हालात को प्रशंसनीय एकता और प्रेम के वातावरण में बदला जा सकता है और बदगुमानियां दूर की जा सकती हैं। संदेह और नित नये पैदा होने वाली शंकाएं खतम की जा सकती हैं। विभिन्न कारणों के परिणाम में पैदा होने वाले विवाद मिटाए जा सकते हैं इसलिये मिलने मिलाने से मामूली गफलत, परहेज व भेदभाव हमें अपनी सूसाइटी, समाज और अच्छे लोगों से दूर कर देगा, इसलिये बैठिये और बार बार बैठने की आदत डालिये। इस में जो कोताहियां और कमियां रह जाती हैं उसे नज़रअन्दाज़ कीजिए और अगर खातिर में लाना ही हो तो इसे केवल सुधार और भविष्य में ऐसी कोताही न हो, की भावना से ध्यान देने योग्य समझिये वर्ना जो हुआ सो हुआ कह कर आगे बढ़िए। भूतपूर्व को मत छेड़िये। उसकी कड़वाहटों को भुलाने की आदत डालिये और किसी भी बदगुमानी, वसवसे, हसद, डाह और पक्षपात को हर्गिज़-हर्गिज़ अपने दिलों और सफों में पैदा मत होने दीजिए। हमेशा सच्चे मन से मामलात को चुस्त दुरूस्त रखिए। देश व समुदाय के हित के अलावा कोई और निजी, जमाअती और व्यक्तगत हित से मामूली मतलब भी मत रिखये। पूरे निःस्वार्थ, धुन, जान व माल से समुदायिक और सामूहिक कामों को अंजाम दीजिय, अल्लाह की मदद आ कर रहेगी। निराशा को कभी भी पास फटकने न दीजिये न अपनी जात के साथ न मिल्लत के मामले में, स्थिरता की राह अपनाइये, अल्लाह पर पूर्ण विश्वास हो। कामयाबी व सफलता का वह अकेला स्वामी है, उसी से लौ लगाइये, और इस अध्याय में संसाधन और मित्रों को भरपूर काम में लाते हुए शुरू से अंत तक अल्लाह पर भरोसा रखिए क्योंकि काम बनाने वाला और मददगार अल्लाह ही है। वही कामों को बनाने वाला भी है और दिलों को फेरने वाला भी।

उम्मत की सफलता का रहस्य रसूल स० के अनुसरण में है

मौलाना खुर्शीद आलम मदनी, पटना

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''सुनो क़सम है तेरे परवरदिगार की! यह ईमानदार नहीं हो सकते जब तक तमाम आपस के मतभेदों में आप को हाकिम न मान लें, फिर जो फैसला आप उनमें कर दें उनसे अपने दिल में किसी तरह की तंगी और नाखुशी न पायें और फरमांबरदारी के साथ कुबूल कर लें''। (सूरे निसा-६५)

इसी तरह कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''सुनो जो लोग अल्लाह के हुक्म का विरोध करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर जबरदस्त आफत न आ पड़े'' (सूरे नूर-६३)

यह है दीन में पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अनुसरण का स्थान और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अहमियत और उसकी शरई हैसियत।

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की एताअत अर्थात अनुसरण का अर्थ यह है कि जो काम नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने स्वयं किया या जिसे करने का हुक्म दिया या किसी को करते देखा और इसे मना न किया वह काम करें और जो अमल आपने नहीं किया और न इसे करने का हुक्म दिया उसे न करें इसी का नाम नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की एताअत है।

सुन्नत की एताअत का अर्थ यह भी है कि कोई भी इबादत उसी अन्दाज़ और तरीके से किया जाए जिस अन्दाज़ और तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से साबित है।

एक मुसलमान होने की हैसियत से और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते हमारे ऊपर यह लाज़िम और अनिवार्य है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी और अनुसरण करें इसके बिना दुनिया व आखिरत में कामयाबी और जन्नत मिलना संभव नहीं।

सवाल यह पैदा होता है कि आखिर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का अनुसरण क्यों करें? इसलिये करें कि हमें अल्लाह ने इनकी एताअत का हुक्म दिया है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''हमने रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को सिर्फ इसलिये भेजा कि अल्लाह तआला के हुक्म से उसकी फरमां बरदारी (आज्ञापालन) किया जाए'' (सूरे निसा-६४)

इसलिये अनुसरण करें कि हमारे रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम दीन के मामले में जो कुछ फरमाते हैं वह वह्य होती है अपनी तरफ से वह कुछ नहीं कहते। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है

''और न अपनी इच्छा से कोई बात कहते हैं वह केवल वह्य (प्रकाशना) होता है जो उतारा जाता है। (सूरे नज्म-३)

इस लिये करें कि आप स्वयं सच्चे मार्ग पर अग्रसर हैं और इसी सत्यमार्ग पर बुलाते हैं।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

''आप कह दीजिए कि मुझ को मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है'' (सूरे अंआम)

फरमाया:

''बेशक आप सत्यमार्ग का मार्गदर्शन कर रहे हैं'' (सूरे शूरा-५२)

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का अनुसरण इसलिये करें कि वह हमारे लिये आइडियल और बेहतरीन आदर्श हैं:

''निस्सन्देह तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल में बेहतरीन आदर्श (मौजूद) है'' (सूरे अहजाब-२१)

इसलिये भी अनुसरण करें कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की एताअत जन्नम में दाखिल होने का माध्यम है।

फरमाया:

''जिसने मेरी एताअत की वह जन्नत में जायेगा और जिसने नाफरमानी की उसने इन्कार किया।'' (बुखारी-७२८०)

स्पष्ट रहे कि जब हम मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं और आप को रसूल की हैसियत से स्वीकार करते हैं तो हमारा यह मानना और स्वीकार करना ही आप की एताअत को अनिवार्य और ज़रूरी करार देता है। यह क्या बात है कि हम रसूलुल्लाह तो कहते हैं और मानते भी हैं लेकिन जब एताअत की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, कभी हदीस की गलत व्याख्या और हदीस के बयान करने वाले की फ़ुक़ाहत (समझ बूझ) पर बात करने लग जाते हैं जबकि मक्का के अनेकेश्वरवादी भी इस स्पष्ट हक़ीक़त को मानते थे कि जो रसूल (पैगम्बर) होगा, बात उसी की मानी जाएगी। देखा नहीं कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर समझौते की धाराएँ लिखी जा रही थीं और जब यह लिखा गया कि यह सुलह अल्लाह के पैगम्बर और मक्का के सरदारों के बीच है तो मक्का के सरदार ने कहा कि नहीं रसूल शब्द को हटा दें इसलिये कि जब हम आप को रसूल मान ही लें गे तो फिर झगड़ा और मतभेद कैसा फिर हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ''रसूल'' शब्द को मिटा दिया। वह समझते थे कि आप को रसूल की हैसियत से स्वीकार करने का मतलब यह है कि अब उनका अनुसरण किया जाए गा, उनकी बात चलेगी, अब यह जिस चीज़ को अवैध कह देंग वह अवैध और जिस चीज़ को जायज़ कह देगे, वह जायज़ होगी।

जिन सौभाग्यशाली लोगों ने आप की पैगम्बरी (ईश्दौत्य) को स्वीकार कर लिया वह नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के एशारों पर चलने के लिये तैयार हो गये, आप के आचरण को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उन्होंने अनुसरण और आज्ञापालन की ऐसी मिसाल काइम की जो क्यामत तक के लिये मानवता के लिये मार्ग-दर्शक साबित होगी। उनकी पूरी ज़िन्दगी कुरआन व हदीस के सांचे में ढल गई। आज हम इन सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम से मुहब्बत करते हैं, उनके स्थान का एतराफ भी करते हैं लेकिन हम सहाबा जैसी जीवन शैली नहीं अपनाते और उनके जीवन के सांचें में अपने जीवन को ढालने की

कोशिश नहीं करते।

सहाब-ए-किराम की विचार धारा यह थी कि वह फैसले कुरआन और हदीस से लेते थे सहाबा किराम के बीच नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की वफात (निधन) के बारे में मतभेद हुआ कि आप का निधन हुआ कि नहीं, जैसे ही अबू बक्र सिददीक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने सूरे जुमर की आयत ''इन्नका मैइतुन व इन्नहुम मैइतून'' पढ़ी मतभेद समाप्त और सब को आप की मौत के बारे में विश्वास हो गया। मतभेद खलीफ़ा के चुनाव के बारे में हुआ। अबू बक्र सिददीक रज़ियल्लाहो अन्हो ने यह हदीस सुनाई ''खलीफा कुरैशी होगा'' (मुसनद अहमद १९७७७) सबने यह बात मान ली। मतभेद आप के दफन के बारे में हुआ। अबू बक्र सिददीक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने यह हदीस सुनाई कि अल्लाह तआला नबी को जिस जगह वफात देता है वहीं उनके दफन किये जाने को पसन्द करता है'' (तिर्मिज़ी-१०१८) हदीस आ गई समस्या का समाधान हो गया। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के कमरे में क़बर खोदी जाने लगी और आप वहीं दफन किये गये। वरासत के बारे में मतभेद हुआ पवित्र बीवियाँ, फातिमा और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हुम अपने अपने हिस्से की मांग करने लगे। अबू बक्र सिददीक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने यह हदीस सुनाई ''हमारे माल का कोई वारिस नहीं वह सदक़ा कर दिया जाएगो'' (मस्मिल १७५७) यह हदीस सुनने के बाद सब इस पर अमल के लिये तैयार हो गये।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के हर फरमान पर अमल करते थे चाहे वह अक्ल के अनूकूल हो या न हो। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे। नमाज़ की हालत में एक क़दम आगे बढ़े और पीछे हट गये। नमाज़ के बाद उबै बिन काब रज़ियल्लाहो तआला अन्हों ने पूछा आज आप ने नमाज़ के दौरान ऐसा किया जो इससे पहले नहीं करते थे फरमायाः हां, अल्लाह ने जन्नत को मेरे सामने पेश किया मैंने सोचा अंगूर का एक खोशा तोड़ लेता हूं ताकि तुम्हें दिखलाऊं लेकिन ऐसा नहीं हो सका। (सहीह मुस्लिम)

किसी सहाबी ने यह नहीं कहा कि मैं तो आप के पीछे था मैंने देखा नहीं, यह जन्नत कहां से आ गई। उनका ईमान और आस्था यह थी कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का देखना मेरे लिये जन्नत की दलील आ गई। इस पर हमारा ईमान है क्योंकि इसके फरमाने वाले नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हैं।

सहाबा किराम का मनहज (विचारधारा) यह थी कि वह हदीस मिलने के बाद अपने फैसले बदल देते थे और हदीस पर अमल करते थे इसकी मिसाल अबू बक्र और हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की ज़िन्दगी में देखो। एक औरत दादी की हैसियत से अपना हक मांगने आई अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहो अन्हा ने फरमायाः आप के लिये कुरआन में कोई हिस्सा नहीं लेकिन जब मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने गवाही दी कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दादी को छटवां हिस्सा दिया फिर हज़रत अबू बक्र ने हदीस पर अमल करते हुए दादी को हिस्सा दिये जाने का हुक्म दे दिया। (अबू

दाऊद, किताबुल फराइज़)

यकीन मानें कि अल्लाह तआला ने इस उम्मत के विजय और मदद को नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसरण (इत्तेबा) से जोड़ रखा है। जो नबी की एताअत करेगा वह कामयाब रहेगा उसे अल्लाह की मदद व समर्थन हासिल होगा और जो आप की नाफरमानी करेगा उसके लिये अपमान और तिरस्कार है इतिहास गवाह है कि सहाबा किराम ने जिन्दगी के सख्त और नाजुक मोड़ पर भी अपने रसूल का अनुसरण किया है। इसी लिये अल्लाह ने विजय और मदद की। अफसोस की बात है कि आज कुरआन व हदीस पर अमल का जजबा कमजोर पड़ गया है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुला दिया गया है। नैतिक मूल्य दम तोड़ रहे हैं कहीं आस्था में झोल है तो किसी के यहां सुन्नत की उपेक्षा है। मुस्लिम समाज से दीन की रूह और रूहानियत खतम हो रही है और यह सब अल्लाह की एताअत से दूरी और शरीअत के आदेशों की उपेक्षा का परिणाम है। आज मुसलमान उस इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं जिसे इस्लाम के पैगम्बर लेकर आए थे और जिस इस्लाम पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहो अन्हुम अमल करते थे। हमने इस्लाम को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढ़ालने की कोशिश की है, इस्लाम के नाम पर हमने बहुत से गैर इस्लामी आमाल को दाखिल कर दिया है जिसका परिणाम हमारे सामने है कि तेरी बर्बादी का चर्चा कर रहा है आसमान

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

फितना और इस्लाम की शिक्षाएं

मौलाना अजीज अहमद मदनी

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

मोमिन का मामला बड़ा अजीब है उसके हर मामले में भलाई होती है। यह चीज़ केवल मोमिन को नसीब है। अगर उसको कोई खुशी मिलती है तो वह शुक्र अदा करता है और यह उसके लिये भलाई है और अगर उसको कोई दुख पहुंचता है तो इस पर सब्र करता है और इसमें भी उसके लिये भलाई ही भलाई है। (सहीह मुस्लिम २९९९)

कहने का मतलब यह है कि मोमिन के लिये आजमाइश दुख और परेशानी का सबब नहीं है बल्कि उसके लिये यह एक नेमत है और अल्लाह की करूणा है, इससे उसके पुण्य में बढ़ोतरी हो जाती है और उसका दर्जा ऊंचा हो जाता है शर्त यह है कि वह आजमाइश के समय और क्षणों में सब्र करे और अल्लाह पर ईमान के साथ तक़दीर पर ठोस विश्वास रखे। इतिहास गवाह है कि आजमाइश की यह घड़ियाँ हर दौर में आती रही हैं और सख्त आजमाइशों से पैगम्बरों को भी गुज़रना पड़ा उन्होंने सब्र और संकल्प से हालात का सामना किया। अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत किया और कामयाब भी रहे। आजमाइश और परीक्षा की यह घड़ियां उम्मत पर भी आईं और आती रहेंगी, ईमान वाले इस कसौटी पर परखे जाते रहेंगे यह अल्लाह का तरीका रहा है जिस में उन्हें एकेश्वरवाद, सब्र, साहस और अकलमन्दी से काम लेना होगा ताकि हम अल्लाह की मदद के पात्र बन सकें। फितनों (आज़माइशों) के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं तुम्हारे घरों में फितने बारिश के क़तरों के समान देख रहा हूं।'' (सहीह बुखारी ३५९७)

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मेरी उम्मत के आखिरी दिनों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुम से ऐसी हदीसें बयान करेंगे जिसे न तुमने सुना होगा और न तुमहारे पूर्वजों ने, तुम इनसे अपने आप को बचाओ। (सहीह मुस्लिम-६)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फितनों और आज़माइशों से उम्मत को आगाह किया है, इससे दूर रहने और बचने की नसीहत की है। दुनिया और आखिरत को सुरक्षित बनाए रखने के लिये मार्गदर्शन किया है। इन सब का हदीस की किताबों में उल्लेख किया गया है। हमें भी ऐसे अवसर और हालात में इन शिक्षाओं की रोशनी में बचाव और छुटकारे की राह तलाश करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं में से कुछ बातों को यहाँ संक्षिप्त में बयान किया जा रहा हैः

१. ऐसे हालात में हमें अल्लाह से तौबा और उससे मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह की किताब पवित्र कुरआन और हदीस से अपना रिश्ता मजबूत बनाना चाहिए। इन तालीमात को अपने जीवन का व्यवहारिक भाग बनाना चाहिए और अल्लाह को एक मानना और उसके अनुसरण को दिल में बसाना और रसूल की शरीअत और आप के बताये गये तरीके के मुताबिक सच्चे मन से इबादत करना एक मुसलमान के परेशानियों से बचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे मौके पर इबादत की अपनी खास अहमियत है। अल्लाह

के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः फितनों और आजमाइशों के जमाने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत के समान है। (सहीह मुस्लिम-२६४८) २. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तालीमात में समस्याओं का समाधान ढूढ़ने के लिये ज़रूरी है कि अल्लाह और उसके रसूल पर हमारा संपूर्ण ईमान हो। हमारी अक्ल, सोच विचार सब कुछ इस्लामी तालीमात के अनुसार हो। क्योंकि शरीअत के रहस्य और हिकमत और लाभ को नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के माध्यम ही से जाना जा सकता है। वही हमारे मार्गदर्शक हैं। ३. समाजी, धार्मिक और नैतिक मूल्यों की बक़ा और सुरक्षा के लिये शरीअत का ज्ञान अनिवार्य है इसके बिना शरीअत का सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। नई नस्ल का सहीह प्रशिक्षण, उनको दीनी व नैतिक मूल्यों से सूसज्जित करना शरीअत के ज्ञान के बिना संभव नहीं। ४. समाज की सफलता एवं कल्याण मुसलमानों की एकता एवं सामूहिकता में है अतः एकता और सामूहिकता को विकसित करना वक़्त की अहमतरीन ज़रूरत है। एकजुट रहना, मुसलमानों की जमाअत के साथ रहना, मौजूदा शासकों और मुसलमानों के खलीफा का अनुसरण करना और उनका हाथ मजबूत करना, उनकी स्थिरता और उनकी बेहतरी के लिये दुआ करना, उनका विरोध और बगावत न करना इस्लाम की शिक्षाओं में से है। ४. इसी तरह मुसलमानों को गुटबाजी से यथाशक्ति बचना चाहिए और अगर किसी तरह का विवाद हो जाए तो कुरआन व हदीस और सहाबा की सर्वसम्मति की रोशनी में हल करने का प्रयास करना चाहिए यही अल्लाह का हुक्म है। ५. फितना और आजमाइश के अवसर पर सब्र और संयम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हिम्मत से काम लेना चाहिए। सब्र मुसलमानों की ताक़त है इसी तरह आने वाले फितनों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। बुद्धमत्ता, संयम और नर्मी का प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि यह सब गुण एक मुसलमान की शान को रोशनी देते हैं और दिलों को नर्म करते हैं कानून की सीमा में रहते हुए अपनी जान व माल इज्जत व आबरू और दीन की हिफाज़त करना सबका अधिकार है। ६. नाजुक हालात और अवसर पर अत्यंत सावधनी और सोच विचार से काम लेना चाहिए। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में न कोई बात कहनी चाहिए और न आदेश जारी करना चाहिए। ७. मध्यमार्ग, संतुलन, न्याय इस्लाम की विशिष्ट पहचान एवं विशेषता है इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए किसी से बिगाड़ और दुश्मनी को न्याय की राह में रूकावट नहीं बनने देनी चाहिए। ८. फितनों और बिगड़े हुए हालात में कथनी, करनी में बहुत सावधान रहना चाहिए। समय और अवसर की बारीकी को देखकर सावधानी से संक्षिप्त में अपनी बात कहनी चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है कि जो बात भी अच्छी हो उसे बोल दिया जाए, कह दिया जाए, क्योंकि कभी कभी भली बातें भी अनुचित वातावरण में भली नहीं लगतीं। इसी तरह जो बातें कही जाएं वज़नदार हों, ऐसी हो जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। कभी कभार समझ में न आने वाली बातें बिखराव और फितने का कारण बन जाती हैं। अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम को हर तरह की बुराइयों और फितनों से सुरक्षित रखे और अपनी दया करूणा से विश्व के हालात को बेहतर बना दे और हम सब को इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार जीवन गुजारने की क्षमता दे।

जीवन की हक़ीक़त

नौशाद अहमद

हमारे जीवन की हक़ीक़त सिर्फ इतनी है कि यह जीवन एक न एक दिन फ़ना हो जाए गी और सिर्फ इन्सान का अच्छा कर्म बाकी रह जाए गा ''जब इन्सान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला टूट जाता है सिर्फ तीन चीज़ें बाक़ी रह जाती हैं (जिनका सवाब उसे मिलता रहता है) सदक़-ए-जारिया, ऐसा इल्म जिससे भायदा उठाया जाए, नेक औलाद जो उसके लिये दुआ करे। यह मौत ही है जो बड़े से बड़े अहंकारी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है और अगर मौत का सिलसिला टूट जाए तो अहंकारों की तादाद बढ़ती चली जाए गी और इस का अंजाम समाजी असंतुलन के सिवा कुछ न होगा।

देखा जाता है कि मरने के साथ ही मरने वाले का नाम समाप्त हो जाता है केवल उसके अच्छे कर्मों को याद किया जाता है इस पहलू से देख जाए तो मौत इन्सान के लिये एक कड़ा और उपदेशात्मक सन्देश भी है। इन्सान चाहे जितना मालदार क्यों न हो, हसब नसब वाला क्यों न हो, उसकी पहुंच चाहे जहां तक हो वह मौत के सामने बेबस और मजबूर हो जाता है। मौत के इतने कड़े सन्देश के बावजूद क्या आज का इन्सान अपने कुकर्मों से फिर कर सत्कर्मों की तरफ जाने के लिये तैयार है?

हक़ीक़त यह है कि दुनिया की चकाचौंध ने उसे मौत की सब से बड़ी सच्चाई और सन्देश से गाफिल कर रखा है। यह जीवन अल्लाह की तरफ से इन्सान के लिये चन्द दिनों की अमानत है अल्लाह ने मौक़ा दिया है कि वह इस अमानत को कैसे प्रयोग करता है। कुरआन में भी अल्लाह तआला ने मौत और ज़िन्दगी को आजमाइश करार दिया है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः जिस ने मौत और ज़िन्दगी को इस लिये पैदा कि तुम्हें आज़माए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है और वह प्रभुत्वशाली और मआफ करने वाला है।'' (सूरे मुल्क-२)

अल्लाह ने जीवन का सिलसिला इस लिये काइम किया ताकि वह अपने बन्दो को अजमाए कि वह इस जीवन का स्तेमाल कैसे करता है। कुरआन ने इसका हल भी बताया है कि जो इस जीवन का सहीह स्तेमाल करेगा वह कामयाब होगा और जो मनमाना जीवन गुजारेगा वह नाकाम होगा।

इस लिये कामयाब होने के लिये ज़रूरी है कि हम अल्लाह के बताए गये तरीकों के अनुसार जीवन गुज़ारें अपने आमाल को बेहतर बनाएं और ऐसे कर्म से बचें जो हमें हमेशा के लिये गुमनाम कर दें।

हज और उमरा कैसे करें?

शैख मुहम्मद सालेह
अल उसैमीन रह०

हज और उमरा करने का सबसे बेहतर तरीक़ा वह है जो नबी स०अ०व० से मनक़ूल (बयान) किया गया है ताकि हज और उमरा करने वाला अल्लाह की मुहब्बत और उसकी मग़फिरत को पा ले। क़ुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है :

''ऐ नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत करते हो तो मेरी इत्तेबा करो खुद अल्लाह तआला तुम से मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख़्श देगा'' (सूरे आल इमरान-३१)

(१) जब आप उमरा के लिये एहराम का इरादा करें तो गुस्ल (स्नान) करें जिस तरह नापाकी का स्नान करते हैं। फिर एहराम के कपड़े लुंगी और चादर पहनें। औरतें ज़ीनत व सिंगार के अलावा जो कपड़े चाहें पहनें फिर यह दुआ पढ़ें।

''लब्बैक उमरतन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेअ्मता लका वल मुलका ला शरीका लका'' यानी ऐ अल्लाह! उमरा के लिये हाज़िर हूं, ऐ अल्लाह हाज़िर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे पास हाज़िर हूं बेशक तारीफ, नेमत और मुल्क (बादशाहत) तेरी ही है और तेरा कोई शरीक नहीं लब्बैक का अर्थ है कि ऐ अल्लाह! हज और उमरा में से जिस चीज़ की तूने दावत दी है मैंने क़ुबूल किया।

(२) मीक़ात से एहराम बांध कर जब आप मक्का पहुचें तो उमरा के लिये खा-न-ए काबा का सात बार तवाफ करें, तवाफ को हजरे असवद से शुरू करें और वहीं ख़तम करें। फिर अगर आसानी हो तो मक़ामे इब्राहीम के पीछे क़रीब हो कर दो रकात नमाज़ पढ़ें वर्ना दूर ही पढ़ लें।

(३) नमाज़ पढ़ने के बाद सफा और मर्वा के दर्मियान सात बार सई करें यानी दौड़ लगाएं। सई की शुरूआत सफा से करें और मर्वा पर ख़तम करें।

(४) सई करने के बाद अपने सर के बाल कटवाएं अब आप का उमरा मुकम्मल हो गया अब अपने एहराम खोल दें।

हज

(१) हज को शुरू करने का तरीक़ा यह है कि आठवीं जिलहिज्जा की सुबह को मीक़ात से एहराम बांधें अगर संसाधन उपलब्ध हो गुस्ल कर लें और एहराम का लिबास (कपड़ा) पहन लें और कहें, लब्बैक हज्जतन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुलको ला शरीका लक'' ऐ अल्लाह हज के लिये हाज़िर हू, हाज़िर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे पास हाज़िर हूं, बेशक तमाम तारीफ, नेमत और मुल्क (बादशाहत) तेरी ही है और तेरा कोई शरीक नहीं है''

(२) फिर मिना की तरफ लौटें और वहां जुहर, अस्र, मग़्रिब, इशा और फज्र की नमाज़ क़स्र के साथ पढें यानी चार रकात वाली नमाज़ को दो रकात पढ़ें।

(३) जब सूरज निकल जाए तो अर्फा की तरफ रवाना हो जाएं और जुहर अस्र की नमाज़ जमा तक़दीम के साथ दो-दो रकात पढ़ें और अर्फा में सूरज डूबने तक ठेहरे रहें और क़िबला का इस्तेक़बाल (किबले की तरफ चेहरा करके) ज्यादा से ज़्यादा दुआ में व्यस्त रहें।

(४) सूरज डूब जाए तो अर्फा

से मुज़दलफा की तरफ प्रस्थान करें और वहां मग़्रिब, इशा और फज्र की नमाज़ पढ़ें फिर ज़िक्र व अज़कार के लिये सूरज निकलने तक ठेहरे रहें। अगर कमज़ोर हैं, कंकरी मारते वक़्त लोगों की भीड़ की वजह से ताक़त नहीं रखते तो कोई हर्ज नहीं रात के आख़िरी हिस्से में मिना की तरफ चले जाएं ताकि लोगों की भीड़ से पहले शैतान को पहले कंकरी मारें।

(५) जब सूरज निकलने का वक़्त करीब हो जाए तो मुज़दलफ़ा से मिना की तरफ रवाना हो जाएं, और निम्न लिखित काम अंजाम दें।

क़-जमु-र-ए-अक़बा को यह जमुरा मकका से ज़्यादा क़रीब है, सात कंकरियां लगातार मारें और हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहो अकबर कहें।

ख. फिर क़ुर्बानी के जानवर को ज़बह करें, इसमें से खुद खाएं और फक़ीरों में तक़सीम करें हद्य (क़ुर्बानी का जानवर) हज्जे तमत्तोअ् और हज्जे क़िरान करने वाले पर वाजिब है।

ग. अपने सर के बाल मूंडें या काटें लेकिन मूंडना अफजल है। और औरत एक पोर के बराबर बाल काटे। अगर आसानी हो तो यह तीनों काम ऊपर बताई गई तर्तीब के मुताबिक़ करें।

६. फिर मक्का जाएं और तवाफे इफाज़ा (हज का तवाफ) और सफा मर्वा की सई करें तवाफे इफ़ाज़ा के बाद आप पूरे तौर पर हलाल हो गए हैं और एहराम की हालत की तमाम चीज़ें आपके लिये हलाल हो गईं।

७. सई और तवाफ के बाद आप मिना की तरफ निकलें और वहां दस्वीं बारहवीं जिलहिज्जा की रात गुज़ारें।

८. फिर ग्यारहवीं और बारहवीं ज़िल हिज्जा को जवाल के बाद तीनों जमुरात को कंकरी मारें, पहले जमुरा से शुरू करें यह मक्का से सबसे ज़्यादा दूर है फिर उस्ता फिर जमु-र-ए अक़बा, हर एक को सात कंकरियां लगातार अल्लाहोअकबर कहते हुए मारें और जमु-र-ए-ऊला और जमु-र-ए उसता की रमी के बाद किबला की तरफ रूख़ करके अल्लाह से दुआ मांगें। इन दोनों में ज़वाल से पहले रमी (कंकर मारना) जायज़ नहीं है।

९. जब आप बारहवीं ज़िलहिज्जा को रमी मुकम्मल करें और अगर जलदी निकलना चाहें तो सूरज डूबने से पहले मिना निकल जाएं अगर चाहें तो ताखीर करें और यही अफ़ज़ल है (चुनान्चे ताखीर की सूरत में) तेरहवीं रात मिना में गुज़ारें और ज़वाल (सूरज ढलने) के बाद इस दिन भी जमुरात को वैसे ही कंकरी मारें जैसा कि बारहवीं ज़िल हिज्जा को मारे थे।

जब आप वापसी का इरादा कर लें तो तवाफ विद्अ करें लेकिन हैज़ और निफास वाली औरतों के लिये तवाफे विदाअ नहीं है।

हज और उमरा का एहराम बांधनें वालों के लिये ज़रूरी है कि वह निम्न बातों का ख्याल रखें।

१. अल्लाह ने जो दीनी बातें फर्ज़ की हैं उन पर लाज़िमी तौर पर अमल करें मिसाल के तौर पर नमाज़ की पाबन्दी।

२. जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया है उससे परहेज़ करें जैसा संभोग, फिस्क़ व फुजूर पाप और नाफरमानी से जैसा कि अल्लाह ने कुरआन में फरमाया हैः

''जिस किसी ने इन महीनों में हज करना अपने ऊपर लाज़िम कर लिाय तो वह बीवी से जिमअ् (संभोग, शारीरिक संबन्ध) न करे और गुनाह की कोई बात करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे''। (सूरे बक़रा-१९७)

३. हज के स्थानों पर अपनी करनी और कथनी से किसी को नुक्सान न पहुँचाए।

४. एहराम की हालत में तमाम मना की गई बातों से परहेज़ करें। मिसाल के तौर पर

क. अपने नाखून और बाल न काटें

ख. एहराम बांधने के बाद अपने बदन और कपड़े में खुश्बू न लगाएं, न खुश्बू दार साबुन से पाकी हासिल करें लेकिन अगर एहराम बांधने के मौके पर इस्तेमाल किये गये खुश्बू का असर बाकी रहे तो कोई हर्ज़ नहीं

ग. खुश्की के हलाल जानवर का शिकार न करें।

ध. संभोग न करे न कोई ऐसी बात करें जिससे उत्तेजना पैदा हो।

ड. अपना या दूसरे का निकाह न करें और इसी तरह अपने या दूसरे के लिये शादी का पैगाम न दें।

च. दस्ताना न पहनें।

ऊपर बयान की गयीं बातें औरत मर्द दोनों के लिये आम हैं।

मर्द के लिये ख़ास अहकाम

क. अपने सर को टोपी से न छुपाएँ लेकिन छतरी, गाड़ी की छत, खेमा और पलासटिक से छाया प्राप्त करने में कोई हर्ज नहीं।

खः कमीस, अमामा, टोपी, शलवार और मोज़ा न पहनें लेकिन अगर तेहबन्द न मिले तो शलवार पहनें और जूते न हों तो मोज़े पहन लें।

ग. अबा, क़बा और ताक़िया (पगड़ी के बीच टोपी) वगैरह पहनना भी मना है। जूता, अंगूठी, चश्मा, टेली स्कोप दूरबीन, घड़ी थैला या बैग वगैरह का पहनना या लटकाना जायज़ है। गैर खुश्बूदार चीज़ों से पाकी हासिल करें और अपने सर और बदन में मल लें और अगर मलने के दौरान बाल टूट जाए तो कोई हर्ज नहीं। औरत नक़ाब (जिससे चेहरा को ढांका जाता है और आंख खुली होती है) न पहने और बुर्का का इस्तेमाल भी न करे और औरत के लिये सुन्नत यही है कि अपना चेहरा खुला रखे लेकिन महरम हज़रात के सामने हालते एहराम वगैरह में भी पर्दा वाजिब है। (जरीदा तर्जुमान १-१५ जुलाई २०१६)

पाठक गण ध्यान दें

१-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। २-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सुचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। ३-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। ४-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। ६- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। ७. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

कुर्बानी के अहकाम व मसाइल

कुरबानी का मक़सद केवल गोश्त खाना नहीं है, बल्कि कुर्बानी का मक़सद यह है कि कुर्बानी करने वाला यह स्वीकार करे कि हम आज जिस तरह इस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं वह केवल एक नमूना है अगर ज़रूरत पड़ी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कीमती से कीमती चीज़ को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं और नेकी की प्रेरणा और बुराई को रोकनें में हर प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं और देश व समाज और मानवता के विकास एवं उत्थान के लिये हमेशा तत्पर हैं।

हज़रत अली रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि कुर्बानी के चार दिन हैं एक ईदुल अज़हा का दिन (अर्थात १० जिलहिज्जा) और तीन दिन इसके बाद (नैलु अवतार भाग-५ पृष्ठ-१३५)

हज़रत अली, हज़रत जुबैर बिन मुतइम रजियल्लाहो अन्हुम, हज़रत अता, हज़रत हसन बसरी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत सुलैमान बिन मूसा, इमाम अबू दाऊद, अन्य सहाब-ए-किराम, प्रतिष्ठित ताबईन, तबअ् ताबईन, और मुहद्दिसीन का भी यह मसलक है कि १० जिलहिज्जा के बाद तीन दिन और कुर्बानी करना जायज़ और दुरूस्त है। (मुस्लिम भाग-२, पृष्ठ १५२)

जुल हिज्जा के दस दिन का अर्थः- जुलहिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है और हुर्मत वाले चार महीनों में से एक, जुलहिज्जा महीने के दस्वें दिन ईदुल अजहा का पहला दिन होता है इन दस दिनों का बयान कुरआन में विशेष तौर से हुआ है (सूरे हज)

इन दस दिनों की अहमियत इस से भी स्पष्ट होती है कि अल्लाह ने इन दिनों की सौगन्ध (क़सम) खाई है। (सूरे फज्र)

इन दस दिनों के आमाल का मुकाबला इन्हीं जैसे आमाल से होगा, मतलब यह है कि इन दिनों की नफली इबादत दूसरे दिनों की नफली इबादत से अफजल है। इन दिनों की फर्ज इबादत दूसरे दिनों की फर्ज इबादत से अफज़ल है। यह मतलब भी नहीं है कि इन दिनों की नफली इबादत आम दिनों की फर्ज इबादत से भी अफज़ल है। (पांच अहम दीनी मसायल)

जुल हिज्जा के दस दिनों में से एक दिन ९ जुलहिज्जा ऐसा है कि अल्लाह तआला ने इस में दीने इस्लाम के मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई थी। (सहीह़ बुखारी)

९ जुल हिज्जा के दिन अल्लाह तआला साल के बाकी दिनों के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी देता है (सहीह़ मुस्लिम)

जुलहिज्जा का दस्वां दिन सब दिनों का सरदार और सब दिनों से अफजल है। (अबू दाऊद)

इन फजीलतों का कारण यह है कि इन दिनों में तमाम बुनियादी इबादतें जमा होती हैं। यानी नमाज, रोज़ा, हज सदका इन दिनों के अलावा और किसी दिन यह इबादतें जमा नहीं होतीं। (फतहुलबारी)

इन दिनों में लगन से इबादत करनी चाहिये। (सुनन दारमी)

खास तौर से अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तमाम तारीफ अल्लाह के लिये है का विर्द ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये। (मुस्नद अहमद)

कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इन दिनों में तकबीरात कहते थे यहां तक कि बाज़ार में भी इन का विर्द करते और इनकी तकबीरात को सुन कर दूसरे लोग भी तकबीरात शुरू कर देते थे। (सहीह बुखारी)

९ जुलहिजा का रोज़ा रखने से पिछले एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। (सहीह मुस्लिम)

हज करने वाले के लिये मुस्तहब है कि ९ जुलहिज्जा के दिन रोजा न रखे। (तोहफतुल अहवज़ी)

जो आदमी कुर्बानी करना चाहता है वह इन दस दिनों में कुर्बानी करने तक अपने जिस्म के बाल और नाखुन आदि नहीं काट सकता। (सहीह़ मुस्लिम)

कुर्बानी का शाब्दिक अर्थः- कुर्बानी अर्बी जुबान के शब्द कुर्बान की बदली हुई शक्ल है और शाब्दिक पहलू से इस का अर्थ हर वह चीज है जिससे अल्लाह का तकर्रुब (निकटता) हासिल किया जाये, चाहे जबीहा हो या कुछ और। (अलमोजमुलवसीत)

कुछ ओलमा के नजदीक कुर्बानी का शब्द कुर्ब से बना है चूंकि इसके माध्यम से अल्लाह की नजदीकी हासिल की जाती है इस लिये इसे कुर्बानी कहा जाता है।

परिभाषिक अर्थः- कुर्बानी का अर्थ ऊंट भेड़ और बकरियों में से कोई जानवर ईदुल अज़हा के दिन और तश्रीक के दिनों ११,१२,१३ जुलहिज्जा में अल्लाह तआला का कुर्ब (निकटता) हासिल करने के लिये जबह करना है।

कुर्बानी का हुक्मः- जुम्हूर के नजदीक कुर्बानी सुननते मुअक्कदा है। लेकिन अल्लामा शौकानी र-ह-म-हुल्लाह ने अपनी किताब अस्सैलुल जर्रार में दलायल (तर्क) लिखने के बाद लिखा है कि कुर्बानी वाजिब साबित होती है लेकिन यह वुजूब ताकत रखने वालों के लिये है जिसके पास माली ताकत नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। (मिर्आतुलमफातीह)

कुर्बानी के शरायतः-१. खालिस अल्लाह की रिज़ा के लिये हो। (सूरे बय्यना, सूरे माइदह)

२. पाकीज़ा माल से हो हराम माल से न हो। (सहीह मुस्लिम) ३. सुन्नत के अनुसार हो। अगर कोई ईद की नमाज़ से पहले कुर्बानी करे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि उसने सुन्नत की मुखालिफत की है। (सहीह बुखारी) ४. कुर्बानी का जानवर उन खामियों और कमियों से पाक हो जिन की बुनियाद पर शरीअत ने कुर्बानी करने से रोका है। दो दांता होना जरूरी है, अगर ऐसा जानवर मिलना मुश्किल हो या कोई दूसरी मजबूरी हो तो भेड़ का खेरा एक साल का कुर्बानी करना सहीह है। (मुस्लिम)

किन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं

१. वाजेह तौर से काना हो। २. ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो। ३. ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। ४. ऐसा कमज़ोर जानवर जिसमें चर्बी न हो। ५. कान में सूराख हो। (अबू दाऊद)

मसायलः-

- खसी जानवर की कुर्बानी जायज है। (सहीह इब्ने माजा)
- हामिला (जिसके पेट में बच्चा हो) जानवर की कुर्बानी भी जायज है। (सहीह अबू दाऊद)
- हामिला जानवर का जबह करना ही पेट के बच्चे के लिये काफी है दिल चाहे तो उसे भी खाया जा सकता है,जबह करने की

जरूरत नहीं।(सहीह अबू दाऊद)

❑ कुर्बानी के जानवर को खिला पिला कर मोटा ताजा करना चाहिये। (सहीह़ बुखारी)

❑ ईद के पहले दिन कुर्बानी करना अफज़ल है क्योंकि यह दिन सब दिनों से अफजल है। (सहीह अबू दाऊद)

❑ कुर्बानी के चार दिन हैं, १३ जुल हिज्जह को सूरज डूब जाने तक कुर्बानी की जा सकती है। (सहीह अल जामिउस्सगीर)

❑ कुर्बानी के चार दिनों की रातों में भी कुर्बानी की जा सकती है।

❑ कुर्बानी करने का वक़्त ईदुलअज़हा की नमाज पढ़ने के बाद शुरू होता है। (बुखारी)

❑ कुर्बानी के जानवर पर सवार होना जायज है। (बुखारी)

❑ जिस जानवर को कुर्बानी की निय्यत से खरीद लिया जाये उसे बेचना अवैध है (अस्सैलुल जर्रार अल्लामा शौकानी)

❑ जानवर कुर्बानी करने के बजाये उसकी कीमत का सदक़ा करना दुरूस्त नहीं है।(मिर्आतुल मफातीह)

❑ अगर कोई आदमी ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ही जनावर जबह कर दे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी बल्कि उसे ईद की नमाज के बाद एक दूसरा जानवर जबह करना पड़ेगा। (सहीह बुखारी)

❑ ईदगाह में कुर्बानी करना सुन्नत है। (बुखारी)

घर में या किसी दूसरी जगह अगर कुर्बानी कर ली जाये तो दुरूस्त है क्योंकि ईदगाह में कुर्बानी करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार नहीं दिया है और न सब लोग ऐसा कर ही सकते हैं।

❑ छुरी खूब तेज होनी चाहिये। (सहीह मुस्लिम)

❑ जानवर को किब्ला की तरफ करके जबह करना मुस्तहब है। (मौकूफ इब्ने उमर)

❑ कुर्बानी वाले जानवर के पहलू पर जबह के वक़्त पांव रखना मसनून है। (बुख़ारी)

❑ बिसमिल्लाह वल्लाहु अक्बर पढ़कर जानवर को नह्र या जबह किया जायेगा (बुख़ारी)

❑ दांत और नाखुन को छोड़कर हर ज़बह कर देने वाली चीज से जानवर जबह किया जा सकता है। (बुखारी)

❑ मालिक का अपने हाथ से जानवर जबह करना अफजल है (बुखारी)

❑ लेकिन दूसरे से भी जबह करवाया जा सकता है। (बुखारी, अबू दाऊद)

❑ औरत भी जानवर जबह कर सकती है।(बुखारी)

❑ अल्लाह के अलावा दूसरे के नाम पर जबह करने वाला लानती है। (सहीह मुस्लिम)

❑ पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर ही किफायत कर जायेगा (सहीह तिर्मिजी)

कुर्बानी करते वक़्त तकबीर के साथ साथ ''अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी अव मिन फुलां'' ऐ अल्लाह मेरी तरफ से या फुलां की तरफ से कुबूल फरमा कहना भी दुरूस्त है। (मुस्लिम)

कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों पर सदक़ा किया जा सकता है और खुद भी खाया जा सकता है। (सूरे हज)

❑ गोश्त को बराबर तीन हिस्सों में बांटना जरूरी नहीं है क्योंकि शरीअत ने इसकी पाबंदी नहीं लगाई बलकि इसके विपरीत नबी स० ने जी भर खाने की इजाजत दी है। (सहीह तिर्मिज़ी)

❑ लेकिन यह जहन में रहे कि इस हदीस में जहां खाने का बयान है वहां खिलाने का भी जिक्र

है। इस लिये इतना ना खाया जाये कि हदीस के अगले हुक्म ''खिलाओ'' पर अमल न हो सके।

❑ अगर कोई गोश्त का कुछ हिस्सा जखीरा (जमा) करना चाहे तो शरई (इस्लामी क़ानून के) एतबार से इसकी इजाजत है। (बुखारी)

❑ गैर मुस्लिम अगर मुस्तहिक (पात्र) है तो उसे भी गोश्त दिया जा सकता है। (अलमुगनी इब्ने कुदामा)

❑ कुर्बानी की खाल का मसरफ (खर्च करने की जगह) वही है जो गोश्त का है। (बुखारी)

❑ कर्जदार आदमी कुर्बानी कर सकता है क्योंकि ऐसी कोई दलील नहीं जो उसे कुर्बानी करने से रोकती हो। (पांच अहम दीनी मसायल)

❑ हज के लिये जो ऊंट खरीदा गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सात अफराद शरीक हो सकते हैं। (मुस्लिम)

कुर्बानी करने वाले अफराद जुलहिज्जा का चांद नजर आने से लेकर कुर्बानी करने तक बाल और नाखुन नहीं काट सकते। (मुस्लिम)

''कुर्बानी एक प्रकार की उपासना है जो अल्लाह के लिये की जाती है। सबसे पहले इसका प्रयोग आदम के दो बेटों ने किया था जिसकी ओर कुरआन संकेत करता है। ''और इन्हें आदम के बेटों का हाल हक़ के साथ सुना दो जबकि दोनों ने कुर्बानी की, तो उनमें से एक की कुर्बानी कुबूल हुई, दूसरे की कुबूल नहीं हुई।'' (सूरे न० ५ अलमाइदा-आयत न० २७)

''इस्लाम धर्म से पहले कुर्बानी के जानवर को आग में जलाने की रीति थी लेकिन इस्लाम ने कुर्बानी के जानवर को आग में जलाने की रीति को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया''॥(कुरआन की इन्साइक्लोपीडिया पृष्ठ २१३ लेखक प्रोफेसर डा० मुहम्मद ज़िया उर्रहमान आज़मी)

''खुशी और हर्ष व उल्लास मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऐसी जिन्दगी को जो खुशी और हर्ष व उल्लास से खाली हो वह अजीरन है। यही वजह है कि दुनिया के अन्दर जितनी भी क़ौमें और मिल्लतें (समुदाय) पाये जाते हैं सभों के यहाँ रंज व ग़म और दुख व तकलीफ से आज़ाद होकर खुशियाँ मनाने के चन्द विशेष दिन होते हैं जिनके आने पर वह अपनी खुशी का इज़हार करते हैं जिन्हें ईद या त्यौहार या पर्व कहा जाता है। चूंकि इस्लाम इन्सानी फितरत के अनुकूल एक विश्वव्यापी धर्म है इसलिये उसने भी शुरू ही से इन्सानी फितरत (स्वभाव) का ख्याल किया है और अपने मानने वालों को एक साप्ताहिक ईद जुमा की शक्ल में और दो वार्षिक ईद ईदुल फित्र और ईदे कुरबां की शक्ल में दिया है।'' (ईदे कुरबां के अहकाम व मसाइल, एक तहकीकी जायज़ा'')

इस्लाम ने खुशी मनाने का एक सिद्धांत तय किया है। आम तौर पर लोग खुशी के मौके पर इस तय शुदा सिद्धांतों को भूल जाते हैं और उनसे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हें जो लोगों के हानि और दुख पहुंचने का सबब बन जाता है। इस्लाम ने खुशी मनाने का जो उसूल तय किया है उसी के अनुसार खुशी मनानी चाहिए ताकि ईद (खुशी) हमारे लिये संसार के पालनहार की सामीप्ता प्राप्त करने का माध्यम बन सके और यह केवल खुशी ही तक सीमित न होकर अल्लाह की उपासना का भी माध्यम बन जाए हमें इसी पहलू से ईद मनानी चाहिए कि इससे हमारा पालनहार भी खुश हो जाए और हम ईद के माध्यम से लोगों की मदद भी कर सकें। ***(जरीदा तर्जुमान व अन्य किताबों से संकलित)***

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का अपनी पत्नियों के साथ बर्ताव

डा० मुक़्तदा हसन अज़हरी

एक मुसलमान के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक समस्या में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जीवन तथा कार्यों का अनुकरण अनिवार्य रूप से करे यही उसके मुक्ति का साधन है। दाम्पत्य जीवन में भी हमारे सामने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का ही चरित्र आदर्श रहना चाहिये।

उम्महातुल मुस्लिमीन (मुसलमानों की मांओं अर्थात नबी स० की पत्नियों) के साथ नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का बर्ताव, सदव्यवहार, न्याय, एवं सहानुभूति का एक अद्धितीय उदाहरण था। इस्लाम ने महिलाओं के साथ जो विनम्रता का व्यवहार बताया है नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की घरेलू जिन्दगी में उसका पूर्ण प्रदर्शन है। आप उनके साथ सदैव विनम्रता, दया, सन्तोष एवं धैर्य से काम लेते थे। एक बार आपने महिलाओं की उपमा आबगीनों (मोतियों) से दी जो तनिक भी ठोकर लगने से टूट जाते हैं। महिलाओं के साथ सदव्यवहार की प्रेरणा देते हुए आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में अच्छा व्यक्ति वह है जो अपने परिवार के लिए उत्तम हो। तुम लोगों की अपेक्षा मैं अपने परिवार के लिए उत्तम हूं।

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपनी पत्नियों के साथ सदैव नरमी, तथा प्रेम का व्यवहार करते थे और प्रत्येक बात में न्याय एवं सहानुभूति को दृष्टिगत रखते थे। कोई भी मामला हो चाहे खाने-पीन का या पहनने-ओढ़ने का, या रात व्यतीत करने के लिए चक्र निश्चित करने का, शिक्षा या उपदेश देने का, सब में न्याय करते थे। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम न्याय के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपनी सभी पत्नियों के पास प्रातः समय उपदेश तथा शिक्षा देने के लिये जाते थे तथा शाम में बात-चीत तथा सहानुभूति प्रदर्शन के लिए। आप स० जिस कमरे में रहते थे उसमें आपकी सभी पत्नियां भी एकट्ठा हो जाती थीं।

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जब घर में होते थे, तो अपनी आवश्यकताओं से सम्बन्धित सभी कार्य स्वयं करते थे। हज़रत आईशा रजियल्लाहो अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सबसे अधिक विनम्र तथा दयालु थे। आप एक मनुष्य थे परन्तु सदैव मुसकराने वाले मनुष्य थे।

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जब कभी यात्रा में जाते थे तो पत्नियों के नाम से कुरआ निकालते, जिस पत्नी का नाम निकलता था उसे साथ ले जाते थे। परन्तु हज की यात्रा में गये तो सभी पत्नियां साथ थीं।

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के लिए अपने जीवन के अन्ति दिनों (गम्भीर रूप से बीमार होने की दशा) में क्रमानुसार प्रत्येक पत्नी के कमरे में जाना कठिन था।

उम्महातुल मोमिनीन ने आपकी इच्छा को देखते हुए सर्वसम्मति से कहा कि आप जहां रहना चाहें रहें, तो आपने अन्तिम क्षणों तक हज़रत आईशा रज़ियल्लाहो अन्हा के कमरे में निवास किया।

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को हज़रत आईशा रजियल्लाहो अन्हा से अत्यधिक प्रेम तथा हार्दिक लगाव था, जिसके अनेकों कारण थे। किन्तु कभी भी आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अन्य पत्नियों पर उन्हें प्राथमिकता नहीं देते थे, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम प्रत्येक के साथ समानता तथा न्याय का बर्ताव करते थे तथा साथ ही यह भी दुआ करते थे।

अनुवादः ऐ अल्लाह मैं जिसका मालिक हूं, उसमें यह मेरा बटवारा है, और तू जिसका मालिक है तथा मैं मालिक नहीं हूं उसमें मेरी पकड़ न करना।

उददेश्य यह था कि प्रेम की स्वभाविकता मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है इसलिए उन पर पकड़ न करना। (हुकूकुन्निसा फिल इस्लाम पृष्ठ ११०)

इस प्रकार नबी स० ने अपनी पत्नियों के साथ उपकार तथा सदव्यवहार के लिए सभी प्रकार के कष्ट सहन कर उनके साथ सहानुभूति की तथा अच्छे व्यवहार के साथ-साथ दीन (धर्म) के सभी नियमों, आदेशों तथा शिक्षाओं को सिखाया तथा उन्हीं से उम्मत (अनुयाइयों) के अधिकांश पुरूषों तथा महिलाओं ने इस्लामी शिक्षाएं ग्रहण कीं।

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को अपनी पत्नियों का सदैव ध्यान रहता था। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कहते थे कि मुझे अपने बाद तुम्हारी चिन्ता है, मेरे पश्चात तुम लोगों के साथ केवल सन्तोष करने वाले ही सहानुभूति तथा नरमी बरत सकते हैं। (अल इस्लामो वल मरअतो पृष्ठ ९२)

इस्लाम की इन्हीं शिक्षाओं एवं नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पवित्र जीवनी तथा महिलाओं के विषय में कृपा तथा सहाुभूति का यह प्रभाव था कि अरबों के हृदय में महिलाओं के प्रति जो घृणा तथा उपेक्षा की भावनायें इस्लाम से पूर्व थीं वह इस्लाम के उदय के पश्चात समाप्त हो गयीं। लड़कियों को जीवित गाड़ने वाले हाथ उनके सिरों पर कृपा तथा दया भाव से फिरने लगे तथा महिलाओं के साथ नरमी और दया का व्यवहार करने में व्यक्ति को सम्मान और गर्व का अनुभव होने लगा।

पति के अधिकार

इस्लाम ने जिस पकार पत्नी के अधिकार निश्चित किये हैं उसी प्रकार पति के भी अधिकार हैं, उनका पालन प्रत्येक मुसलमान महिला के लिये आवश्यक है यह जिम्मेदारियां संक्षेप में निम्नलिखित हैं-

१. पत्नी के लिए आवश्यक है कि धर्म की सीमाओं में रहते हुए पति के आज्ञापालन में लीन रहे तथा इस्लाम ने पुरूषों को जो श्रेष्ठता प्रदान किया है उसको ध्यान में रखते हुए, जब पति उसे बुलाये तो अकारण इन्कार न करे। स्वच्छ घरेलू जीवन के लिए आज्ञा पालन नितान्त आवश्यक है। नबी स० ने एक हदीस में कहा है कि यदि स्त्री पांचों समय नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, गुप्तांगों की रक्षा करे तथा पति का आज्ञा पालन करे तो वह अवश्य ही स्वर्ग में प्रवेश करेगी। (मुसनद अहमद १९१/१)

पत्नी यदि पति की आज्ञा माने तो घर का वातावरण सुखमय होगा, सहयोग का वातावरण स्थापित होगा तथा सन्तान में भी आज्ञापालन तथा बड़ों के प्रति आदर सम्मान, प्रतिष्ठा एवं बड़ों के स्थान तथा पद को पहचानने की भावना उत्पन्न होगी।

एक हदीस में वर्णित है कि स्त्री की मृत्यु यदि इस स्थिति में हो जाये कि उसका पति उससे सन्तुष्ट हो तो वह स्वर्ग में जायेगी। (इब्ने माजा ५६४/१)

हज़रत आईशा रज़ियल्लाहो अन्हा के एक कथन में है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पूछा कि महिला पर किसका अधिकार अधिक है? तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा कि पति का। फिर उन्होंने पूछा कि पुरूष पर किसका अधिकार अधिक है? तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा कि मां का। (कश्फुल अस्तार १७६/२)

२. पति की भावनाओं तथा विचारों पर ध्यान रखे, अर्थात घर में पति को कोई ऐसी वस्तु से पाला न पड़े जो उसे नापसन्द हो। मनुष्य घर के बाहर काम-काज में व्यस्त रहता है तो अनेकों अप्रिय घटनाएं उसके समक्ष आती हैं। घर पहुंचने पर यदि उसे मानसिक तथा शारीरिक सुख प्राप्त न हो तो उसके लिए अपने दायित्वों का निर्वाह करना कठिन हो जायेगा।

३. पति के धर्म तथा मान मर्यादा की रक्षा करे, अर्थात घर में तथा घर के बाहर परदा का विशेष ध्यान रखे तथा गैर पुरूषों के सामने न आये और न ही उनके सामने श्रृंगार प्रदर्शन करे। पति की अनुमति के बिना घर से बाहर न निकले और न ही घर में किसी को प्रवेश की अनुमति दे।

स्त्री यदि निगाह नीची रखे तथा पवित्रता एवं संयम से रहे तो इस कार्य से पति की दृष्टि में उसकी प्रतिष्ठा एवं सम्मान ऊंचा होगा तथा ईश्वर की कृपा का पात्र होगी। ऐसी स्त्री से पति को इस्लामी आदेशों के पालन में सहयोग प्राप्त होगा तथा अपनी मान मर्यादा के विषय में सुरक्षित रहेगा।

४. व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में पति की सहमति और पसन्द का ध्यान रखे, जिन कार्यों को वह करना चाहता है, या जिन लोगों से मिलना जुलना पसन्द करता है उसमें बाधा न डाले, जीवन के किसी ऐसे स्तर का, पति से मांग न करे जो उसकी क्षमता से परे हो। इससे पुरूष की भावनाओं को ठेस लगने तथा अवैध धन उगाही की कोशिश करने की शंका बनी रहती है। एक आदर्श पत्नी की यह मर्यादा होनी चाहिए कि पति को सदैव वैध जीविका कमाने का प्रोत्साहन दे।

हमारे पूर्वजों की पत्नियां स्पष्ट रूप से अपने पतियों से कहती थीं कि हमें अवैध जीविका से बचाना, हम भूख सहन कर सकते हैं, किन्तु हमारे लिए नरक की अग्नि असहनीय है।

५. घर की व्यवस्था को पूरी तरह संभाले। सफाई, सुथराई का ध्यान रखे तथा आवश्यक कार्यों को सुन्दरता के साथ करे। हज़रत फातिमा रजियल्लाहो अन्हा ने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से नौकर मांगा तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उन्हें तकबीर, तसबीह (जाप) की शिक्षा दी। इससे उम्मत की महिलाओं को शिक्षा मिलती है कि नौकर की क्षमता न हो तो महिलाओं के लिए घर का काम-काज स्वयं करना उत्तम

है।

६. पति की धन सम्पत्ति की रक्षा करे तथा बिना उसकी अनुमति के किसी को कुछ न दे। बिना अनुमति, पति का माल व्यय करने में सन्देह है कि पति भ्रमित हो जाये तथा पत्नी को अविश्वासी समझकर घृणा करने लगे।

७. यदि पति घर पर उपस्थित हो तो बिना उसकी अनुमति के नफली रोज़ा (रमज़ान के अतिरिक्त) न रखे। बुखारी में है कि पति के अनुमति के बिना नफली रोज़ा रखना वैध नहीं है तथा न उसकी इच्छा के बिना किसी को घर में आने की अनुमति दे।

८. पति की सहमति का ध्यान रखे, घर का वातावरण ऐसा बनाये कि पति घर में जब भी प्रवेश करे तो उसके मन में उदासीनता न पैदा हो, प्रसन्न मुद्रा में उसका स्वागत करे, काम-काज तथा परिश्रम की कोई शिकायत न करे तथा अपना वस्त्र एवं रूप ऐसा न बनाये कि पति को घृणा हो।

९. पति के माता-पिता तथा भाई बहनों के साथ सम्मान जनक एवं विनम्रता का व्यवहार करे तथा उचित कार्यों में उनका कहना माने। इस्लाम ने सामान्य लोगों के साथ नरमी तथा सहानुभूति के बर्ताव का आदेश दिया है। जो पति के निकट सम्बन्धी हैं उनके साथ उचित व्यवहार अत्याधिक आवश्यक है।

(नोटः- यही आदेश और निर्देश पति को भी हैः संपादक)

१०. पति के साथ क्रोध से या जोर जोर से बात न करे। अपने सौन्दर्य तथा रूप, कुल खानदान एवं सामाजिक सम्मान तथा प्रभाव की चर्चा गर्व से न करे, इससे पति को कभी कष्ट भी हो सकता है।

११. सन्तान की देखभाल स्वयं करे, उन्हें किसी दूसरे पर न छोड़े। क्योंकि बच्चे को जो प्यार, सहानुभूति तथा कौशल एवं सभ्यता और सुशीलता मां से प्राप्त हो सकती है वह किसी अन्य महिला से नहीं मिल सकती। स्त्री यदि घर के बाहर कोई कार्य करने की अपेक्षा, घर पर ही रह कर सन्तान की देख भाल करे तो उसका यह कार्य महान होगा इस प्रकार वह अच्छी सन्तान को तैयार करने में सहयोगी होगी, जिससे इस्लाम की सेवा की आशा होगी।

(प्रेस रिलीज़)

जुलक़ादा १४४३ का चाँद नज़र नहीं आया

दिल्ली, १ मई २०२२

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ शव्वालुल मुकर्रम १४४३ हिजरी अर्थात ३१ मई २०२२ मंगलवार को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस मंज़िल उर्दू बाज़ार जामा मस्जिद दिल्ली में मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और जुलक़ादा के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध यम से संपर्क किये गये मगर किसी भी राज्य से चांद को देखने की प्रमाणित खबर नहीं मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनाँक १ जून २०२२ के दिन शव्वालुल मुकर्रम की ३०वीं तारीख होगी।

ज्ञान प्राप्त करने के आठ महत्वपूर्ण सिद्धांत

व्याख्यानः अल्लामा सालेह बिन फौज़ान अलफौज़ान अनुवादः मौलाना अब्दुल मन्नान शिकरावी

अमल करने से पहले हमारे लिये सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य ज्ञान की प्राप्ति है जैसा कि पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''ऐ नबी! आप यकीन कर लें (जान लें) कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और अपने गुनाहों की क्षमायाचना मांगा करें और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक में भी, अल्लाह तआला तुम लोगों की आमद व रफ्त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है। (सूरे मुहम्मद :१९)

कुरआन की इस आयत में अल्लाह तआला ने कथनी व करनी से पहले ज्ञान से शुरूआत की है क्योंकि ज्ञान ही पर कथनी व करनी की बुनियाद रखी जाती है। ज्ञान के बिना अमल गुमराही का सबब बन जाता है। इसी तरह अमल के बगैर ज्ञान भी गुमराही है। इसलिये अल्लाह तआला ने सूरे फातिहा के अन्त में अपने बन्दों को इस दुआ की शिक्षा दी है कि हमें सत्यमार्ग का मार्गदर्श कर, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने अपनी दया व करूणा को निछावर किया न कि उनके रास्ते की जिन पर तेरा प्रकोप नाजिल हुआ और गुमराह (पथभ्रष्ट) हुए। जिन पर अल्लाह का करूणा हुआ यह वह लोग हैं जो लाभकारी ज्ञान सीखने के साथ सत्कर्म भी करते हैं जबकि अल्लाह के क्रोध के पात्र वह लोग हैं जिन्होंने ज्ञान तो सीखा लेकिन इस पर अमल नहीं किया। एक मुसलमान नमाज की हर रकात में जब सूरे फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह से यही मांगता है कि ऐ अल्लाह! तू मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपनी दया करूणा किया अर्थात नेक लोगों के रास्ते पर चलाने की क्षमता दे और उन लोगों के रास्ते पर जाने से बचा ले जिन पर तेरा प्रकोप अवतरित हुआ अर्थात उन्होंने ज्ञान तो हासिल किया लेकिन अपने ज्ञान के अनुसार अमल नहीं किया और उन लोगों के रास्ते से भी सुरक्षित रख जिन पर तेरा क्रोध नाजिल हुआ यानी जिन्होंने ज्ञान तो हासिल किया लेकिन इस अमल की बुनियाद ज्ञान पर नहीं रखी। अल्लाह ने अपने नबी को हिदायत और सत्य दीन के साथ भेजा। हिदायत का अर्थ लाभकारी ज्ञान और सत्य दीन का अर्थ सत्कर्म है। यह दोनों दीन के अटूट भाग हैं।

अल्लाह ने पवित्र कुरआन की सूरे तौबा (अत्यत न.१२२) में अपने बन्दों को ज्ञान की प्राप्ति के लिये निकलने की प्ररेणा दी है और कहा है कि एक जमाअत दीन का ज्ञान हासिल करने के लिये निकले, जहां भी ज्ञान मिल सके वहां का सफर करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ज्ञान की फजीलत बयान करते हुए फरमायाः अल्लाह तआला जिसके साथ भलाई का एरादा करता है उसे दीन की समझ दे देता है। कुरआन और हदीस का ज्ञान हासिल करने वालों को ही अल्लाह ने यह फज़ीलत और श्रेष्ठता देकर अपने ऐसे बन्दों पर बड़ा उपकार किया है।

ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिये अल्लामा सालेह फौजान अल फौज़ान

ने कुछ सिद्धांत और नियम बताये हैं जिन को ध्यान में रखना एक क्षात्र के लिये ज़रूरी है।

१. ज्ञान की प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयास की जरूरत होती है इसके अतिरिक्त सब्र व संयम और वक्त दरकार है जैसा कि एक अरबी कवि ने कहा है :

ज्ञान प्राप्त करो और परेशान न हो, परेशान होना ज्ञान के लिये हानिकारक है क्या तुमने रस्सी नहीं देखी है कि वह बार-बार जब मजबूत चटटान पर रगड़ खाती है तो उस पर निशान डाल देती है। इसलिये मायूसी को फटकने नहीं देना चाहिए अर्थात ज्ञान की प्राप्ति को कठिन नहीं समझना चाहिए। लाभकारी ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिये फरिश्ते दुआ करते हैं और उसकी मेहनत व उपलब्धि से खुश हो कर उसके लिये अपने पर बिछा देते हैं। एक अरबी कवि ने कहा है :

जो शख्स ज्ञान पाने के लिये एक घड़ी भी सहन नहीं करता तो फिर वह जीवन भर अज्ञानता का प्याला पीता रहता है। इसलिये ज़रूरी है कि सब्र व संयम से काम लिया जाए और निरन्तर प्रयास जारी रखा जाए यहां तक कि अल्लाह की क्षमता से मकसद प्राप्त हो जाए।

२. ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा नियम यह है कि केवल किताबों से ही ज्ञान न सीखा जाए और न ऐसे लोगों से ज्ञान लिया जाए जो नाम के ज्ञानी हैं और उन्हें दीन की समझ नहीं है इसलिये ज्ञान केवल ज्ञानियों से हासिल किया जाए। ज्ञान हासिल करने का एक सिद्धांत यह भी है कि ज्ञान प्रसिद्ध ओलमा और नेक लोगों से हासिल किया जाए जिन्होंने स्वयं अपने अध्यापकों से ज्ञान सीखा और क्यामत तक यह सिलसिला चलता रहे।

३. ज्ञान सीखने का एक तरीका और नियम यह भी है कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीखे, ज्ञान की बुनियादी बातों की तरफ ध्यान दे। मतभेद पर आधारित किताबों से परहेज करे।

४. ज्ञान प्राप्त करने का एक सिद्धांत यह भी है कि क्षात्र केवल एक कला सीखने पर संतोष न करे बल्कि हर कला की संक्षिप्त और लाभकारी बातें सीखे क्योंकि सारे ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्षात्र के लिये ज़रूरी है कि सबसे पहले वह पवित्र कुरआन पढ़े और याद करे, देख कर तजवीद के साथ तिलावत करे क्योंकि ज्ञान का आधार कुरआन है फिर तफसीर पढ़े ताकि कुरआन का ज्ञान मिले। इसके बाद फिकह और ग्रामर की किताबें पढ़े यह सब कुरआन व हदीस को समझाने के लिये जरूरी है।

५. ज्ञान के हासिल करने का एक सिद्धांत यह भी है कि अल्लाह ने आप को जितना ज्ञान दिया है उसके अनुसार अमल करे इससे ज्ञान में बढ़ोतरी और बरकत होगी। हिकमत और अक़लमन्दी की यह बात बहुत मशहूर है कि जिसने ज्ञान के अनुसार अमल किया उसे अल्लाह वह ज्ञान भी दे देता है जो उसके पास नहीं था। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है :

''अल्लाह तआला से डरो, अल्लाह तआला तुम्हें शिक्षा दे रहा है और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है'' (सूरे बक़रा-२८२)

इस लिये आप ने जो इल्म सीखा है उस पर अमल भी करें ऐसे ज्ञान में बर्कत नहीं होगी जिस में अमल न किया जाए बलिक वह क्यामत के दिन आप के खिलाफ दलील बन जाएगी कि इल्म के बावजूद

अमल क्यों नहीं किया। ज्ञान बिना अमल के उस पेड़ के समान है जिस में फल ही न आता हो।

जिन लोगों के ज़रिये क्यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम को भड़काया जाएगा उनमें वह ज्ञानी (आलिम) भी होगा जिसने ज्ञान के अनुसार अमल न किया होगा।

क्षात्र के लिये ज़रूरी है कि वह सबसे पहले अपने ज्ञान के अनुसार अमल करे फिर इसे दूसरे लोगों को सिखाए और इसका प्रचार करे। अल्लाह के रसूल स० ने फरमायाः

''जब इन्सान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला टूट जाता है सिर्फ तीन चीज़ें बाक़ी रह जाती हैं (जिनका सवाब उसे मिलता रहता है) सदक़-ए-जारिया, ऐसा इल्म जिससे भायदा उठाया जाए, नेक औलाद जो उसके लिये दुआ करे।

इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा बेहतर इल्म है जिससे भायदा उठाया जाता है क्योंकि सद-कए जारिया किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएगा इसी तरह नेक औलाद किसी दिन दुनिया से रूखसत हो जाएगी लेकिन ज्ञान स्थिर चीज है क्योंकि जब तक उसके शिष्य और किताबों रहेंगी वह मरने के बाद भी सवाब का हक़दार बना रहेगा। इस तरह इल्म में बरकत और भलाई है शर्त यह है कि इस नियम के अनुसार और ज्ञानियों से प्राप्त किया जाए और इसके अनुसार अमल करके इसको साबित और बाकी रखा जाए।

६. छात्र के लिये ज़रूरी है कि वह शरई ज्ञान को निःस्वार्थ एरादे से और अल्लाह की खुशी और सामीप्ता के लिये सीखे, दिखावा न हो। ज्ञान इसलिये न सीखा जाए कि लोग उसे ज्ञानी कहें। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति एक नेक अमल है और नबी स० ने फरमायाः

आमाल का आधार निय्यत पर है और इन्सान को वही मिलेगा जिसकी उसने निय्यत की होगी इसलिये निःस्वार्थ एरादे से इल्म हासिल करें और अगर इस एरादे से इल्म सीखे गा कि उसकी तारीफ की जाएगी तो वह क़्यामत के दिन इस हाल में लाया जाएगा कि अल्लाह तआला उस से फरमाएगा ज्ञान के अनुसार कितना अमल किया? तो वह कहेगा कि मैंने इल्म सीखा और सिखाया, मैंने तेरे खातिर कुरआन की तिलावत की। अल्लाह तआला फरमाए गा कि तू झूठा है तूने इल्म इसलिये सीखा था कि तुझे आलिम कहा जाए और कुरआन इसलिये पढ़ा था कि क़ारी कहा जाए तो जो तेरा मक़सद था वह तो (दुनिया में) पूरा हो गया। हुक्म होगा फिर इसे घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा।

७. ज्ञान की प्राप्ति का एक नियम यह भी है कि पहले कुरआन का ज्ञान लेने के बाद अकीद-ए-तौहीद का ज्ञान हासिल करना चाहिए। तौहीद और शिर्क के मसाइल मालूम करें अकीद-ए-तौहीद इस मकसद से सीखना चाहिए कि उसका अकीदा दुरूस्त होने के साथ दूसरों को भी इसकी अहमियत से आगाह करे गा क्योंकि अक़ीदा बुनियादी चीज़ है और इसी पर तमाम कर्मों का आध ाार है।

८. ज्ञान हासिल करने का एक नियम यह भी है कि इसको परहेजगार ओलमा से सीखा जाए। बाज़ सलफ का कहना है शरई ज्ञान का नाम ही दीन है इसलिये मालूम होना चाहिए कि तुम अपना दीन किस से हासिल कर रहे हो।

❑ ❑ ❑